

इस संबंध में कोई उज्र/एतराज हा वा पपगलान/ असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 तीन दिवस में रसीदें पेश करे। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को पेश हो।

*(Handwritten mark)*

24.9.21


अपिपत्रागण उपान्धित, उतिपाडी नं-01 की मोर में अपिपत्रागण की एम.एच.एम. एवं उतिपाडी नं-02 की मोर में अपिपत्रागण की पंकज शर्मा द्वारा पत्रावली पत्रावली पत्रावली रहे।

आज पीठासीन अधिकारी... आज उशासन के मामले में प्र है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.10.21 को पेश है

14.10.21

पत्रावली उशासन शाखे के जंग अतिमान 2021 के न्यू कोर्ट ग्राम पंचायत पक्की में पेश है। वाडीगण उष्य एवं उपान्धित आकर आदेश-फरिमा पर प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने हेतु टिप्पणी कर अगुग ज्ञान/दफातर अछि ठीक, वाडीगण की पहचान वाडीगण के अपिपत्रागण लतपाल सिंह द्वारा की गई, मग प्रार्थना पत्र वर्तमान दर पर धारिण छिप्य भाग है पत्रावली वर्तमान दर पर नहीं कट है, पत्रावली शत्रय पंक्ति के क्रम ले क्रम की पाकर उतिपाडी की पुची में साठिल है।

कार्यवाही नहीं करना चाहिए।  
Kameel deep kam.



शर्मा  
20/10/21

उमेश सिंह राव  
सहायक कालक्टर एवं  
कार्यापालक उशासन  
(कार्यालय)

14/10/21